यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, नैनीताल के माह 05/2012 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.07.2017 से 01.08.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील, नैनीताल

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	193.20	182.07	04.37	02.99	-	-
2013-14	-	-	295.80	274.21	04.86	03.47	-	-
2014-15	-	-	363.80	304.10	04.96	02.96	-	-
2015-16	-	-	323.70	318.05	08.89	05.44	-	-
2016-17	-	-	375.10	334.08	09.92	08.02	-	-
2017-18	-	-	156.96	91.27	03.90	0.49	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2013, 03/2015, 03/2016 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

शून्य

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तरः1-</u> रू 16000 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या 710/दस-सं.-नित-2-91, दिनांक 29 मई, 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आबंटित है, वह उसका निजी उपयोग करे या न करे, उसके वेतन से प्रतिमाह (पेट्रोल कार के लिए रू 500 व जीप के लिए रू 400 की) कटौती की जानी चाहिए एवं शासनादेश संख्याः 84/XXVII(7)50(06)/2017, दिनांक 07 जून, 2017 के अनुसार मई, 2017 रू 2000 की कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, नैनीताल के वेतन बिल पंजिका की नमूना जांच में पाया गया की निम्न अधिकारियों के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नही की गयी है-

(धनराशि रू में)

अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि		कुल माह
		कब से	कब तक	
श्री बहादुर सिंह लटवाल	तहसीलदार	12/13	07/15	20*400=8000
श्रीमती प्रियंका रानी	प्रभारी तहसीलदार	07/16	04/17	10*400=4000
श्रीमती प्रियंका रानी	प्रभारी तहसीलदार	05/17	06/17	02*2000=4000
योग				रू 16000

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने जवाब दिया कि संबंधित अधिकारियों से जी.वी.आर. की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तरः2- वसूली प्रमाण पत्र की धनराशि रू 07.12 लाख तथा संग्रह व्यय की धनराशि रू 0.63 लाख की वसूली का न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, नैनीताल के विभिन्न विभागों द्वारा किये गये आर0सी0 से संबंधित आर0सी0 पंजिका तथा संबंधित पत्रावली की जांच में देखा गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक आर0सी0 की वसूलियां धनराशि 07.12 लाख तथा संग्रह व्यय की धनराशि रू 0.63 लाख अवशेष थी, जिनका विवरण निम्न है-

वित्तीय वर्ष	आर.सी. की वसूली हेतु अवशेष धनराशि	आर.सी. की वसूल की गयी धनराशि पर संग्रह व्यय की अवशेष धनराशि
2014-15 तक	388114	35915
2015-16 तक	357028	28244
2016-17 तक	712394	62610

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि आर.सी वसूली एक अनवरत प्रक्रिया है, वसूली पूर्ण कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। उत्तर मान्य नही है, क्योंकि वित्तीय वर्ष के अन्दर या समाप्ति के तुरन्त बाद ही आर0सी0 की धनराशि वसूल कर ली जानी चाहिए।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री जे.एस. नगन्याल	उपजिलाधिकारी	04.09.2010	31.05.2012
2.	श्री सी.एस.मारतोलिया	उपजिलाधिकारी	01.06.2012	07.02.2013
3.	श्री रवि झा	संयुक्त मजिस्ट्रेट	07.02.2013	17.05.2013
4.	श्री सी.एस. मारतोलिया	उपजिलाधिकारी	17.05.2013	02.01.2014
5.	श्री एस.सी. दिवेदी	उपजिलाधिकारी	02.01.2014	08.09.2014
6.	श्री आशीष कुमार चौहान	संयुक्त मजिस्ट्रेट	08.09.2014	30.06.2015
7.	श्री सी.एस. मारतोलिया	उपजिलाधिकारी	30.06.2015	14.07.2015
8.	श्री एस.सी. दिवेदी	उपजिलाधिकारी	15.07.2015	18.11.2015
9.	श्री आशीष कुमार चौहान	संयुक्त मजिस्ट्रेट	19.11.2015	18.05.2016
10.	श्री वन्दना सिंह	संयुक्त मजिस्ट्रेट	18.05.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र